कार्यालय आयुक्त/पदेन सचिव
छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति
(भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रवर्तित एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित)
ब्लॉक 4 डी, भूतल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

website - tribal.cg.gov.in ☎ - 2263708 Fax - 2262558 E mail - eklavya.ctd@gmail.com

क्रमांक / EMRS/456 पार्ट/2024-25/4298 नवा रायपुर, दिनांक 26/07/2024

प्रति,

कलेक्टर/अध्यक्ष (EMRS जिला)
जिला–स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय
एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति
जिला–.....................................(छ.ग.)

विषयः– **शैक्षणिक सत्र 2024–25 में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के प्रवेश हेतु जिला स्तर पर काउन्सिलिंग कर विद्यालय आबंटित कर प्रवेश दिए जाने बावत्।**

—00—

विषयांर्तगत भारत सरकार, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति नई दिल्ली के पत्र क्र NESTS/EMRS/Admission Guidlines/140/2021-22/450 दिनांक–16.08.2022 द्वारा राज्य स्तरीय मेरिट के स्थान पर जिला स्तरीय मेरिट सूची के आधार पर प्रवेश प्रदान करने की अनुमति दी गई है।

शिक्षण सत्र 2024–25 हेतु NIC के मेल दिनांक 25.07.2024 द्वारा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु जिलावार मेरिट सूची तैयार कर भेजी गई है।

इस जिला स्तरीय मेरिट सूची के आधार पर जिला स्तर पर काउन्सिलिंग कर जिला में स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु विद्यालय आबंटन किया जाना है। जिला स्तर पर काउंसलिंग की प्रकिया निम्नानुसार होगी :–

1. **जिला स्तर पर काउंसलिंग की तिथियाँ एवं विद्यालय में प्रवेशः–**

   जिला स्तर पर **दिनांक 02.08.2024 से 08.08.2024** तक विद्यालय आबंटन हेतु विद्यार्थियों की काउंसलिंग होगी जिसमें विद्यार्थियों से विद्यालय के विकल्प की प्राथमिकता ली जावेगी तथा जिला स्तरीय मेरिट के कम में विद्यार्थियों को बुलाकर उनके द्वारा चाहे गये प्राथमिकता कम में जिला स्तरीय काउंसलिंग समिति द्वारा विद्यालय आबंटित किए जायेंगे। विद्यालय की प्राथमिकता हेतु प्रपत्र – **परिशिष्ठ –"एक" पर संलग्न है।**

2. **जिला स्तरीय काउन्सिलिंग समिति का गठनः–**

   जिला स्तर पर कलेक्टर/अध्यक्ष जिला स्तरीय एकलव्य विद्यालय सोसायटी द्वारा निम्नांकित काउन्सिलिंग समिति गठित की जावेगी :–

   1. कलेक्टर द्वारा नामांकित अपर कलेक्टर/संयुक्त कलेक्टर – अध्यक्ष
   2. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास –सदस्य सचिव
   3. जिला शिक्षा अधिकारी – सदस्य
   4. जिला परियोजना समन्वय राजीव गांधी शिक्षा मिशन – सदस्य
   5. प्राचार्य DIET – सदस्य
   6. अन्य कोई अधिकारी/प्रोफेसर जो काउन्सिलिंग का अनुभवी हो – सदस्य

3. **<u>जिला स्तरीय काउन्सिलिंग समिति का दायित्व :–</u>**

(I) शिक्षण सत्र 2024–25 हेतु जारी प्रवेश नीति का अध्ययन कर आरक्षण, प्रवेश हेतु पात्रता, वांछित अनिवार्य अभिलेख एवं अन्य निर्देशों को आत्मसात कर कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।

(II) **<u>विद्यार्थियों का सिकल–सेल शासकीय चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाये जिसमें सिकल–सेल डॉमिनेंट है या नहीं स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।</u>**

(III) जिला स्तर पर काउन्सिलिंग हेतु पर्याप्त स्थान वाले भवन का निर्धारण कर विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों को परिसर में सुव्यवस्थित बैठने तथा उनके लिए स्वच्छ पानी इत्यादि का प्रबंध करेगी।

(IV) काउन्सिलिंग की सूचना का प्रचार–प्रसार करेगी तथा काउन्सिलिंग स्थल पर एक बैनर लगाया जाएगा, जिसमें प्रवेश नीति अनुसार काउन्सिलिंग के समय लगने वाले समस्त अभिलेखों की सूची प्रदर्शित की जावेगी। समस्या निराकरण हेतु हेल्प–डेस्क भी होगा तथा प्रभारी का नाम एवं मोबाईल नम्बर भी प्रदर्शित किया जाएगा। बैनर में जिला के अंतर्गत संचालित एकलव्य आदर्श विद्यालय की जानकारी भी प्रदर्शित की जावेगी, जिसमें निम्नांकित जानकारी होगी :–

क्र	विद्यालय का नाम	विकासखण्ड	06 वीं में स्वीकृत सीट			विद्यालय का प्रकार
			बालक	कन्या	योग	संयुक्त / बालक / कन्या

4. प्रवेश हेतु विद्यालयवार सीटों का आरक्षण :–

प्रवेश नीति की कंडिका – 03 अनुसार विद्यालय में प्रवेश हेतु आरक्षण का विवरण निम्नानुसार है :–

स. क्रं.	राज्य के लिये आरक्षण श्रेणी	आरक्षण प्रतिशत में	प्रति कक्षा 60 सीटों की संख्या में से (प्रति सेक्शन 30 सीट)
(i)	अनुसूचित जनजाति वर्ग	80	48
(ii)	विशेष पिछड़ी जनजातीय समुदाय हेतु	5	3
(iii)	DNT/NT/SNT समुदाय हेतु (इस वर्ग में विद्यार्थी नहीं मिलने पर प्राथमिकता विशेष पिछड़ी जनजातीय समुदाय को दी जायेगी और विशेष पिछड़ी जनजातीय समुदाय के विद्यार्थी नहीं मिलने पर अनुसूचित जनजाति समुदाय के विद्यार्थी को प्रवेश दिया जायेगा)	5	3
(iv)	a) वे बच्चे जिन्हें अपने माता पिता को वामपंथी उग्रवाद / विद्रोह / कोविड से खो दिया है। b) विधवाओं के बच्चे । c) दिव्यांग माता–पिता के बच्चे। d) अन्य जैसे भूमि दान, अनाथ वर्ग के बच्चे आदि। e) "इसमें वामपंथी उग्रवाद के शिकार नागरिक और वामपंथी उग्रवाद से लड़ते हुए अपनी *जान गंवाने वाले पुलिस / अर्धसैनिक / सशस्त्र बल के जवान शामिल हैं।* f) दिव्यांग बच्चों के लिए 03 सीट (02 एस.टी. एवं 01 अन्य) आरक्षित हैं।	10	6
	योग	**100**	**60**

(ब) विशेष शासकीय कर्मियों के बच्चों के लिए 20 सीट पर प्रवेश के संबंध में प्रावधान निम्नानुसार है :–

1	2	3
(v)	जिस विकासखंड में विद्यालय स्थित है उस विकासखंड के शासकीय अस्पताल में पदस्थ चिकित्सक / पैरामेडिकल स्टॉफ / CES/ एकलव्य विद्यालयों के स्टॉफ के बच्चे।	इसके अंतर्गत 30 विद्यार्थियों की एक सेक्शन में अतिरिक्त 10 विद्यार्थियों का चयन किया जा सकेगा, इस प्रकार सेक्शन की अधिकतम क्षमता 40 की होगी। यह सुविधा स्टॉफ के केवल दो जीवित बड़े बच्चों को दी जाएगी। अतिरिक्ति सीट से चयनित विद्यार्थियों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा और न ही कोई आर्थिक व्यय इन विद्यार्थियों पर किया जायेगा।

टीपः–

i. उपरोक्त कंडिका 2 (v) अंतर्गत विद्यार्थियों के प्रवेश की सुविधा अधिकतम 02 जीवित बच्चे, जो परिवार में आयु में सबसे बड़े हैं को दी जायेगी। प्रवेश हेतु प्राचार्य सक्षम रहेंगे। प्रवेशित हुए बच्चे को कोई अतिरिक्त आर्थिक सुविधा प्रदान नही की जायेगी और ना ही इन विद्यार्थियों से फीस वसूली जायेगी।

ii. ट्रांसजेंडर श्रेणी के छात्रों को पात्रता शर्तों को पूरा करने के अधीन प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। ट्रांसजेंडर श्रेणी को लड़कों की श्रेणी में विचार किया जाएगा।

A. यदि कोई विद्यार्थी एक से अधिक आरक्षित वर्ग में चयन होता है तो उसे उच्चतम आरक्षित प्रतिशत वाले वर्ग से लाभ दिया जायेगा।

B. प्रत्येक वर्ग के लिए पृथक–पृथक मेरिट सूची तैयार की जायेगी तथा प्रत्येक वर्ग में बालक एवं बालिका हेतु पृथक–पृथक कट ऑफ अंक निर्धारित किया जायेगा।

5. आरक्षित सीटों का एक दूसरे में परिवर्तन :–

प्रवेश नीति के कंडिका–04 अनुसार यदि किसी वर्ग में अपर्याप्त आवेदन प्राप्त होते है या प्रवेश परीक्षा उपरांत अपर्याप्त विद्यार्थी चयन होते है ऐसी स्थिति में विभिन्न जाति समूहों के लिये निर्धारित आरक्षण में परिवर्तन किया जा सकता है।

6. काउंसलिंग प्रकिया :–

(I) काउन्सिलिंग के पूर्व सभी विद्यार्थियों को विद्यालय चयन हेतु निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ठ–''एक'') में काउन्सिलिंग फार्म प्रदान किया जावेगा तथा जिसमें विद्यालय की प्राथमिकता का उल्लेख अभिभावकों/विद्यार्थियों को करना होगा तथा काउंसलिंग फार्म भरा कर समिति के पास जमा करना होगा।

(II) प्रवेश नीति वर्ष 2024–25 के भाग 05 में शाला में प्रवेश के समय आवश्यक दस्तावेजों की सूची **''अ''–अनिवार्य दस्तावेज** एवं **''ब''–विशेष आरक्षण अंतर्गत** आने–वाले विद्यार्थियों के दस्तावेज की सूची अनुसार विद्यार्थियों के अभिलेखों के परीक्षण के पश्चात् अभिलेख पात्र पाये जाने पर प्रवेश हेतु विद्यालय आबंटन की कार्यवाही की जायेगी।

(III) जिला मेरिट आधार पर विद्यार्थियों का नाम पुकारा जाएगा तथा विद्यार्थियों के विद्यालय हेतु दिये गये प्राथमिकता के आधार पर विद्यालय आबंटित कर स्थान LOCK करते हुए 60 सीट तक प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।

(IV) जिला स्तरीय समिति के अनुशंसा तथा अनुमोदन उपरांत विद्यालय हेतु प्रवेशसूची के आधार पर प्राचार्य विद्यालय में प्रवेश समिति द्वारा प्रवेश की कार्यवाही की जावेगी।

(V) शैक्षणिक सत्र 2024–25 में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु काउन्सिलिंग समिति द्वारा अंतिम अनुशंसित प्रवेश सूची संलग्न परिशिष्ठ– ''ब'' अनुसार फार्मेट होगा इसकी एकप्रति विद्यालय को, एकप्रति जिला कार्यालय में तथा एकप्रति राज्य कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा।

उपरोक्तानुसार निर्देशों का पालन करते हुए शिक्षण सत्र 2024–25 में कक्षा–06वीं में प्रवेश की कार्यवाही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(नरेन्द्र कुमार दुग्गा)
आयुक्त/पदेन सचिव
छ0ग0 राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं
आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति, नवा रायपुर

d:\kushwaha 2024-25\letter 2024-25 6th pravesh.docx3

पृ.क्रमांक / EMRS/456/2024-25/ 4299 नवा रायपुर, दिनांक 26 / 07 / 2024

प्रतिलिपि :–

1. **निज सचिव,** मान.मंत्री जी, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग एवं अध्यक्ष, राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
2. **आयुक्त,** राष्ट्रीय आदिवासी शिक्षा समिति , जीवन तारा भवन संसद मार्ग नई दिल्ली की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ।
3. **प्रमुख सचिव,** छ.ग.शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकस विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
4. **सहायक आयुक्त**/सदस्य, जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति **जिला ....** की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. **प्राचार्य,** एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय .... जिला – .... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

आयुक्त / पदेन **सचिव**
छ0ग0 राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं
आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति, नवा रायपुर

शिक्षण सत्र 2024–25 में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में प्रवेश हेतु काउन्सिलिंग फार्म

1. विद्यार्थी का नाम – ....
2. पिता का नाम – ....
3. जन्म तिथि(अंको में) – ....
   (शब्दों में) – ....
4. निवास ग्राम –.................................
5. विकसखण्ड का नाम –.................................
6. जाति/वर्ग –.................................
7. विद्यार्थी वर्तमान में किस शाला में अध्ययनरत है –
8. जिला अंतर्गत एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में प्रवेश हेतु प्राथमिकता

प्राथमिकता क्रम दर्शाएं – जिस विद्यालय में प्रवेश हेतु पहली पसंद है उसे सबसे ऊपर उसके बाद इसी क्रम में विद्यालय का नाम लिखा जाए।

क्र.	विद्यालय का नाम (प्राथमिकता अनुरूप)
1	
2	
3	
4	
5	
6	

मेरे द्वारा प्रवेश नीति के भाग–05 अनुसार अभिलेखों की सूची भी साथ में संलग्न है। प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त जानकारी सत्य एवं सही है।

आवेदक/अभिभावक
हस्ताक्षर

काउन्सिलिंग समिति की अनुशंसा

जिला स्तरीय समिति ने उक्त जानकारी का परीक्षण किया है जिसमें अभिलेखों की स्थिति निम्नानुसार है :–

पूर्ण अभिलेख	अपूर्ण अभिलेख

सभी रिकार्ड पूर्ण/अपूर्ण पाया गया है जिसके आधार पर इनको एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय ....में प्रवेश की अनुशंसा की जाती/नहीं की जाती है।

समिति के सदस्यों के नाम एवं हस्ताक्षर

1. 2 3 4 5

परिशिष्ठ –"दो"

काउन्सिलिंग समिति द्वारा अंतिम अनुशंसित प्रवेश सूची

विद्यालय का नाम –

जिला का नाम --

क्र.	विद्यार्थी का रोल नंबर	विद्यार्थी का नाम	पिता का नाम	जाति/वर्ग जिसके अंतर्गत प्रवेश दिया गया है	जन्मतिथि	प्राप्त अंक	रिमार्क

विद्यालयवार गोस्वारा

(अ) 60 सीटों पर प्रवेश हेतु प्रवेश की स्थिति

क्र.	वर्ग	आरक्षित सीट	प्रवेशित सीट	रिक्त सीट
1	अनुसूचित जनजाति वर्ग	48		
2	PVTG	03		
3	DNT/NT	03		
4	नक्सल प्रभावित/विद्रोह/कोविड/विधवा के बच्चे /दिव्यांग माता पिता के बच्चे/एवं अन्य भूमिदान /अनाथ वर्ग के बच्चे/दिव्यांग बच्चे	06		
	योग	60		

(ब) प्रत्केक विद्यालयों पर 20 सीटों पर प्रवेश स्थिति

क्र.	वर्ग	प्रवेशित सीट	रिक्त सीट
1	जिस विकासखंड में विद्यालय स्थित है उस विकासखंड के शासकीय चिकित्सालय में पदस्थ चिकित्सक/ पैरामेडिकल स्टॉफ		
2	सेंटर ऑफ एक्सिलेंस ऑफ स्पोर्टस (CES)		
3	एकलव्य विद्यालय के नियमित स्टाफ के बच्चे		
	योग		